तथा कश्मीर वाले थे।

अन्य शब्दों में पोठोहार क्षेत्र, जो झेलम नदी के साथ लगने वाला रियासत का पश्चिमी पंजाबी भाषा–भाषी है, अब पाक के अधीन है, जिसे वह 'आजाद कश्मीर' कहता है। मुजफ्फराबाद पी0 ओ0 के0 की राजधानी है। इसमें सम्पूर्ण मीरपुर जनपद, पुंछ नगर को छोड़ इसका शेष भाग और उड़ी–टिथवाल पट्टी को छोड़कर शेष मुजफ्फराबाद जनपद पाक के अधीन हैं। कश्मीरी भाषा–भाषी क्षेत्र, जो कश्मीर घाटी तक सीमित है, के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसकी लम्बाई लगभग 200 मील (330 किमी0) व चौड़ाई पुंछ के पास 4 मील (6.6 किमी0) से लेकर मुजफ्फराबाद के पास 60 मील (99 किमी0) तक है। मीरपुर पहले राजा पोरस के समय के अभिसार राज्य का अंग था। मुजफ्फराबाद कृष्ण गंगा नदी के तट पर स्थित एक पहाड़ी पर बसा है, जिसे अब पाक ने नील दरिया का नाम दे रखा है। यहां अधिकतर लोग जाट व राजपूत हैं, जिन्हें मुगल शासक जहांगीर ने बलात् मुस्लिम बनाया था। 1947 में यहां की जनसंख्या लगभग 10 लाख थी, जिसमें 2 लाख हिन्दू–सिक्ख भी थे। 21 नवम्बर, 1947 को मीरपुर में पाक कबाइलियों ने लगभग 20 हजार हिन्दू–सिक्खों को मारा था।

गिलगित पाक अधिकृत कश्मीर का दूसरा बड़ा क्षेत्र है जिसमें हुंजा नगर क्षेत्र आते हैं। गिलगित यहां की नदी है जिसकी घाटी में गिलगित नगर बसा है। इसका क्षेत्रफल 16 हजार वर्ग मील (41,600 वर्ग किमी0) है। इस्लाम के आगमन से पूर्व यहां बौद्ध–हिन्दू धर्म के पालक रहते थे। अब यहां शिया–सुन्नी मुस्लिमों का बाहुल्य है। इसके पास लगी चित्राल रियासत थी, जो 1947 में विभाजन के समय पाक में चली गयी थी। गिलगित के दक्षिण–पूर्व में बालटिस्तान क्षेत्र है जिसे लद्दाख विजय के साथ जनरल जोरावर सिंह ने जीतकर (1834–40) गुलाब सिंह के जम्मू राज्य में मिलाया था। इसकी राजधानी सिंध नदी के तट पर स्थित स्कार्डू है। डोगरा राज्यकाल में बालटिस्तान व लद्दाख को मिलाकर रियासत का एक प्रान्त बनाया था। जिसकी ग्रीष्मकालीन मुख्यालय/राजधानी लेह और शीतकालीन राजधानी/मुख्यालय स्कार्डू हुआ करती थी। कारगिल नगर व इससे लगे बलटी क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण बालटिस्तान अब पाक के कब्जे में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 14 से 17 हजार वर्ग मील था। इसका लगभग 10 हजार वर्ग मील (26 हजार वर्ग किमी0) क्षेत्र पाकिस्तान के पास व शेष भारत के पास है। यहां पूर्व में लोग हिन्दू–बौद्ध धर्मानुयायी थे, जिन्हें 17वीं शताब्दी में बलात् मुस्लिम बनाया गया था। इसी क्षेत्र में से (गिलगिट व बाल्ट का उत्तरी क्षेत्र) 1962 के चीनी हमले के बाद 2 मार्च, 1963 में पाक ने एक सीमा समझौते के तहत 5180 वर्ग

Scanned by CamScanner

किमी0 क्षेत्र 99 वर्ष के लिए चीन को दे दिया, जिसका प्रबल विरोध यहां के निवासियों ने किया था। शेष 37,555 वर्ग किमी0 जमीन चीन पहले ही 1962 के हमले में कब्जा कर चुका था। इस प्रकार चीन के पास भारत की 42,735 वर्ग किमी0 जमीन आज भी कब्जे में है। स्कार्डू में पाकिस्तान ने हवाई अड्डा व गिलगित–स्कार्डू को मिलाने वाली सड़कों के साथ–साथ अनेक पक्के मार्ग बना रखे हैं।

इस प्रकार यह रियासत भारत के स्वतंत्र होने तक स्वतंत्र बनी रही। यहां डोगरा राजा–गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, प्रतापसिंह और हरीसिंह ने राज्य किया। 26 अक्टूबर, 1947 को यह भारत का भाग बनीं। महाराजा कर्णसिंह उस समय छोटे थे और विदेश में थे। ये आज केन्द्र सरकार में कार्यरत हैं। अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं।

स्वाधीनता के बाद– 14 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान बना जिसका क्षेत्रफल 9,87,941 वर्ग किमी0 था। पाकिस्तान एशिया का 7वां बड़ा और दक्षिण एशिया का दूसरा बड़ा देश है, जिसकी उत्तर से दक्षिण तक लम्बाई 1600 किमी0 और पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 880 किमी0 है। 1971 में बांग्लादेश का जन्म पाक में से ही टूटकर हुआ था, जिसका क्षेत्रफल 1,83,998 वर्ग किमी0 है, जो सम्पूर्ण पाक का मात्र 15 प्रतिशत हिस्सा है। आज पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8,03,943 वर्ग किमी0 है। पाक के अब तक के 66 वर्षों में 36 वर्ष मार्शल लॉ और 30 वर्ष लोकतंत्र रहा है। इसके निर्माता मुहम्मद अली जिन्ना (प्रथम गवर्नर जनरल) और प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान दोनों मुजाहिद थे। मुजाहिदों का पाक मंत्रिमण्डल में बोलबाला था। पंजाबी, पख्तून, बलूची, सिन्धी इससे नाराज थे। लियाकत अलीखान की हत्या एक सिन्धी अकबर खाँ ने की थी। मार्शल अय्यूब खाँ, पंजाबी, जियाउल हक पंजाबी थे और नवाजशरीफ भी, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो सिन्धी थे। मुशर्रफ मुजाहिद हैं। पाक में सेना व आई0 एस0 आई0 सत्ता में काफी गहराई तक जड़ जमा चुकी हैं कि अब इनका निक्षालन करना असंभव हो गया है। प्रथम बार 1958 में जनरल अय्यूब खां ने राष्ट्रपति सिकन्दर मिर्जा से सत्ता छीनकर मार्शल लॉ लगा दिया और राष्ट्रपति को देश निकाला दे दिया। 1969 में जनलर याहिया खां ने फील्ड मार्शल राष्ट्रपति अय्यूब खां से सत्ता छीन ली और मार्शल लॉ लगाते हुए अय्यूब खां को ठिकाने लगा दिया। तीसरी बार जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1976–77 में मार्शल लॉ लागू करते हुए 9 वरिष्ठ सेनाधिकारियों को कट–ऑफ करके एक कनिष्ठ सैन्य अफसर जिया–उल–हक को सेनापति बनाया था, जिसके (भुट्टो के) अहसानों को नजरन्दाज करते हुए और कुरान की शपथ लेकर भी 1977 में भुट्टो को फांसी दे दी, किन्तु स्वयं भी 1988 में विमान दुर्घटना में मारे गये। चौथी बार 12 अक्टूबर, 1999 को नवाज शरीफ से सत्ता छीनकर जनरल मुशर्रफ राष्ट्रपति/मुख्य प्रशासक बन बैठे, जिन्हे नवाज शरीफ ने तीन वरिष्ठ सैन्य अफसरों को कट–ऑफ कर सेनाध्यक्ष बनाया था। मुशर्रफ भी शरीफ सहाब के अहसानों को भूल गये और शरीफ को देश निकाला दे दिया। इस प्रकार 1948 के हमले के बाद प्रधानमंत्री लियाकत अली खाँ को, 1965 के युद्ध के बाद जनरल अय्यूब को, 1971 के युद्ध के बाद जनरल याहिबा खाँ को जान गंवानी पड़ी और 1999 का कारगिल युद्ध नवाज शरीफ को लील गया। मुशर्रफ सत्ता पर पूर्ण सजगता के साथ बैठने का प्रयास करते रहने के बावजूद भी सेना में आन्तरिक मतभेद उग्र होता जा रहा है। आई0एस0आई0 सीमा पर आये दिन गोलाबारी कराते हुए आतंकवादियों को भारत में घुसाती रहती है। आज मुशर्रफ दर–बदर हैं।

Scanned by CamScanner

सीमा विवाद

असल में 'कश्मीर' भारत–पाक के मध्य अब कोई विवाद ही नहीं है। इसे तो पाकिस्तान ने यहां की मुस्लिम बाहुल्यता के कारण विवाद का विषय बनाये रखा है ताकि सत्ता का सुख पाक सत्ताधीश प्राप्त करते रहें। कश्मीर पाक सरकार के लिए वैतरणी का कार्य करता है। 3 सितम्बर, 1947 को जिन्ना के प्रोत्साहन से पाक कबालियों ने कश्मीर पर हमले की कार्यवाही शुरू की जो 19 से 21 अक्टूबर 1947 तक काफी उग्र रूप ग्रहण कर चुकी थी तथा काफी सफलता भी उनको मिली। महाराजा हरीसिंह ने जिन्ना के कश्मीर में जलवायु परिवर्तन कर स्वास्थ्य लाभ लेने की नीति पर पानी फेर दिया तो जिन्ना ने यह जानते हुए भी कि इस हमले में मुस्लिम ही मुस्लिम को मारेगा, बड़ी भूल की। इससे अधिकांश कश्मीरी जनमत भारत के पक्ष में होता चला गया। जिन्ना व शेख अब्दुल्ला के बीच गुप्त रूप से चल रही वार्ता पर भी सहमति नहीं बनी कि, 'यदि कश्मीर पाक में शामिल होता है तो कश्मीर को पाक प्रशासन के अन्दर पूर्ण स्वायत्तता होगी और शेख अब्दुल्ला यहां सर्वेसर्वा रहेंगे।' इस कूटनीति में एक कश्मीरी मुस्लिम नेता ने पाक मुस्लिम नेता के अरमानों पर पानी फेर दिया। पहले तो मु0 अली जिन्ना ने आर्थिक कूटनीति अपनाई फिर राजनीतिक कूटनीति किन्तु दोनों फेल हो गयीं। अब पाकिस्तान सेना भी खुलकर कबाइली हमलावरों के साथ संघर्षरत हो गयी। यदि जिन्ना कुछ दिन शान्त रहते तो हो सकता था कि कश्मीर पाक में मिल जाता लेकिन वे चूक गये। 26 अक्टूबर, 1947 तक कश्मीर की स्थिति काफी गम्भीर हो चुकी थी। अन्ततः भारत सरकार व महाराजा कश्मीर के मध्य समझौता हो गया। उधर इसी समय (26 अक्टूबर, 1947) जम्मू–कश्मीर सेना के ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह उड़ी में शत्रु सेना को रोकते हुए मारे गये। 27 अक्टूबर, 1947 को भारतीय सेना श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी और कार्यवाही शुरू की तो दूसरी ओर गिलगित में महाराजा की सेना के ब्रिगेडियर घनसारा सिंह ने भारतीय ध्वज यहां फहरा दिया। भारतीय सेना ने 7 नवम्बर, 1947 तक शत्रु को किशन गंगा नदी के दूसरी पार तक भगा दिया था, लेकिन 1 नवम्बर, 1947 तक भारतीय सेना गिलगित क्यों नहीं पहुंची? यह तथ्य ध्यान देने योग्य है। जबकि भारत के यू0एन0ओ0 में जाने तक (30 दिसम्बर, 1947–1 जनवरी, 1948) यह सम्पूर्ण उत्तरी क्षेत्र (गिलगित व बालटिस्तान) भारत की जम्मू–कश्मीर सरकार के नियंत्रण में थे। साथ ही जम्मू के मीरपुर, पुंछ, कोटली व भिम्बर आदि भी सरकार के नियंत्रण में थे। 1 नवम्बर, 1947 को ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को शत्रु के साथ मिल चुके गिलगित के मुस्लिम स्काउटों ने मेजर ब्राउन के नेतृत्व में बन्दी बना लिया था। 3 नवम्बर, 1947 तक यहां शत्रु नहीं पहुंच सका था। 7 नवम्बर को वहीं कुछ स्काउटों ने पाक ध्वज फहरा दिया। भारत सरकार ने ठीक समय पर गिलगित गवर्नर को सहायता क्यों नहीं पहुंचाई? मुख्य बात ये कि 3 नवम्बर 1947 के बाद भी जनवरी 1948 तक ब्रिटिश लैफ्टिनेन्ट कर्नल बीकन पेशवार से हुन्जा तक आते–जाते रहे थे, किन्तु सुरक्षा प्रबन्ध क्यों नहीं किये गये? **यहीं से पाक अधिकृत कश्मीर व सीमा विवाद/समस्या की कहानी शुरू होती है।**

7 जुलाई, 1948 को भारतीय वायु सेना के गिलगित पर हवाई हमले के समय भी ब्रिगेडियर घनसारा कैद में थे। भारतीय सेना के समक्ष यहां 50 हजार शत्रु सेना थी और लगभग 1 लाख शत्रु सेना सीमा पार हमले के लिए तैयार थी। बाजी पलटती देख जिन्ना ने मार्शल ऑकिनलोक के माध्यम से लार्ड माउण्टबेटन व पं0 नेहरू को लाहौर आकर समस्या हल करने का निमंत्रण दिया। माउण्टबेटन तुरन्त सहमत हो गये, किन्तु सरदार पटेल सहमत नहीं थे। अतः महात्मा गांधी से परामर्श करना आवश्यक हो गया।

Scanned by CamScanner

परामर्श के समय पं0 नेहरू को बुखार हो गया। अतः लार्ड माउण्टबेटन अकेले ही लाहौर गये और वार्ता करके लौट आये। लार्ड माउण्टबेटन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली से तार द्वारा सम्पर्क कर कहा कि वे शीघ्र भारत आकर विवाद की मध्यस्थता कर समाधान निकालें किन्तु एटली स्वयं न आकर यू0एन0ओ0 में समस्या भिजवाने और समाधान करने की सलाह दी।[1]

महात्मा गांधी इसके विरूद्ध थे कि कश्मीर समस्या यू0एन0ओ0 जाये किन्तु पं0 नेहरू ने 1 जनवरी, 1948 को समस्या यू0एन0ओ0 की सुरक्षा परिषद् में रखी। भारत ने गलती की कि समस्या यू0एन0ओ0 पहुंचाई, दूसरी गलती यह की कि इसे यू0एन0ओ0 के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 34 व 35 के तहत की जो अध्याय 6 में "विवादों का शांतिपूर्ण समाधान", में आता है, **जबकि हमें शिकायत अध्याय–7** के तहत करनी चाहिये, जिसमें "राज्यों के बीच आक्रामक घटनाओं से निबटने" की व्यवस्था है। अतः मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया। यू0 एन0 ओ0 की सुरक्षा परिषद ने भी इस पर गम्भीर रूख नहीं अपनाया और न तुरन्त कार्यवाही की। 20 फरवरी, 1948 को यू0एन0ओ0 की सुरक्षा परिषद ने विवाद के समाधानार्थ त्रिसदस्यीय आयोग का गठन किया। 21 अप्रैल, 1948 को इसमें दो सदस्य और बढ़ा दिये। इसमें अर्जेन्टीना, अमेरिका, बेल्जियम, चैकोस्लोवाकिया और कोलम्बिया के व्यक्ति थे। 21 अप्रैल को ही सुरक्षा परिषद ने एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा भारतीय व पाक के कबाइली सैनिकों को एक विशेष सूत्र द्वारा पीछे हटने को कहा ताकि एक मिलीजुली आन्तरिक सरकार गठित की जा सके किन्तु यह लागू नहीं हो सका। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को सुरक्षा परिषद ने निर्देश दिये कि वे कश्मीर में जनमत संग्रह से पूर्व पाक सेना जम्मू कश्मीर के अधिकृत क्षेत्रों को खाली करे। इस समय तक पाक के पास 4500 वर्ग मील (11,700 वर्ग किमी0) भूमि थी। 13 अगस्त, 1948 को आयोग ने अपना पक्ष भी प्रस्तुत कर दिया। इसके तीन भाग थे–(1) युद्धबन्दी, (2) असैन्यीकरण व (3) कश्मीर में आत्म–निर्णय का कार्य। पाकिस्तान ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया लेकिन 29 दिसम्बर, 1948 को आयोग इन प्रस्तावों को पाकिस्तान से मनवाने में सफल हो गया। प्रथम दो प्रस्तावों की पूर्ति पाकिस्तान ने आज तक नहीं की है। सुरक्षा परिषद् ने भी भारत के साथ अन्याय किया कि उसने पाकिस्तान को भारत के समकक्ष महत्व दिया। अन्ततः 31 दिसम्बर, 1948 की मध्य रात्रि को दोनों पक्ष युद्ध विराम हेतु सहमत हो गये और 1 जनवरी 1949 से युद्ध विराम लागू हो गया।[2]

5 जनवरी, 1949 को यू0एन0ओ0 द्वारा पुनः एक प्रस्ताव पारित किया। 18 से 27 जुलाई, 1949 तक करांची में दोनों पक्षों के मध्य युद्ध विराम रेखा के सम्बन्ध में समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों पक्षों द्वारा अपनायी गयी स्थितियों के ही अनुसार रेखा खींचने की बात की गयी थी। यथार्थ में यह 29 जुलाई, 1949 से लागू हुई थी। 23 दिसम्बर, 1948, 5 जनवरी, 1949, 29 अगस्त, 1949, 24 मार्च, 1950, 20 मार्च, 1951, 21 फरवरी, 1957, दिसम्बर 1957 और 28 मार्च, 1958 के प्रस्ताव भी असफल रहे। सभी प्रस्ताव पक्षपातपूर्ण थे। यही रेखा 1971 के युद्ध के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा के रूप में बदल दी गयी है। यह रेखा जम्मू से शुरू होकर चोटियों व घाटियों से होती हुई सुदूर में बर्फाच्छादित उत्तर–पूर्व तक चली जाती है। यह रेखा जटिलताओं से भरी पड़ी है। इस रेखा का प्रयोग दोनों पक्षों ने अपने–अपने हिसाब से किया है।[3]

Scanned by CamScanner

इसकी पुष्टि शिमला समझौते (1972) में भी की गयी है। यह रेखा [वास्तविक नियंत्रण (युद्ध विराम) रेखा] लगभग 765 से 814 किमी0 लम्बी है जो दोनों देशों को बांटती है। यह अखनूर सैक्टर से मुनव्वरतवी क्षेत्र के भूरेचक गाँव से शुरू होकर कारगिल सैक्टर के उस स्थान पर जाकर समाप्त होती है, जहाँ से सियाचिन ग्लेशियर की सीमा शुरू होती है और जहाँ यह समाप्त होती है उस स्थान को एन0जे0 9842 का नाम दिया गया है। अर्थात् 98 अंश पूर्वी अक्षांश और 42 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब सियाचिन पर भी पाक की गिद्ध दृष्टि लगी है। 1984 से यहां लगातार आये दिन घुसपेठ व गोलाबारी होती रहती है। चीन की नजर भी इस पर है। भारत–पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद (कश्मीर की आढ़ में) यहीं है।

26 अक्टूबर, 1947 से 1 जनवरी, 1949 तक (युद्ध विराम होने तक) भारत ने गिलगित पर ध्यान क्यों नहीं दिया, जबकि यहां सीमा सम्बन्धी कोई विवाद नहीं था? न इसका कहीं भी उल्लेख है। कारगिल, बालटिस्तान, लद्दाख व गिलगित की सीमाओं पर युद्ध विराम नहीं था। यहां पर संघर्षरत ब्रिगेडियर विक्रम सिंह को विशेष सफलता मिलती जा रही फिर उन पर संघर्ष बन्द करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। वे कुछ दिनों की मौहलत मांगते रहे किन्तु नहीं दी गयी और उनको वहाँ से दबाव स्वरूप हटा दिया गया। उधर पाक न तो युद्ध विराम को मान रहा था और न यू0एन0ओ0 के प्रस्तावों को अमल में ला रहा था। 1 जनवरी, 1949 से जारी युद्ध विराम को मार्च 1949 तक उसने लागू नहीं होने दिया और यहां पर जम्मू–कश्मीर की उत्तरी भाग की 28 हजार वर्ग मील (72,800 वर्ग किमी0) भूमि पर कब्जा कर लिया। जुलाई 1948 तक ब्रिगेडियर घनसारा को 6 माह तक कैद किये रखा। अब न तो पाक की जनमत संग्रह में रूचि थी और यू0एन0ओ0 के प्रतिनिधि ओवन डिक्सन व ग्राहमजीन की बातों और प्रस्तावों में रूचि थी। इस प्रकार मार्च 1949 तक पाक ने गिलगित, स्काई, वालटिस्तान, किशन गंगा नदी का उत्तरी भाग और कारगिल तहसील सहित लगभग 72,800 वर्ग किमी0 भूमि पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार युद्ध विराम होने के बाद भी जम्मू–कश्मीर की लगभग कुल 78114 वर्ग किमी0 भूमि पाक के पास रह गयी, जिसकी जनसंख्या 7 लाख थी। इसे पाकिस्तान आज 'आजाद कश्मीर' कहता है जबकि भारत 'पाक अधिकृत कश्मीर' कहता है। भारत के पास 1,44,122 वर्ग किमी0 भूमि और जनसंख्या 33 लाख रह गयी। 1962 में चीनी हमले के बाद यह क्षेत्रफल घटकर 1,06,567 वर्ग किमी0 रह गया। मार्च 1949 में अधिकृत कश्मीर की तथाकथित सरकार ने यह सम्पूर्ण जमीन पाक सरकार (मार्शल अय्यूब खाँ) के हवाले कर दी थी। इसमें से 5180 वर्ग किमी0 भूमि 2 मार्च, 1963 में पाकिस्तान सरकार ने यहाँ की जनता के प्रबल विरोध के बावजूद चीन को 99 वर्ष के पट्टे पर देकर संधि कर ली। इससे पी0ओ0के0 का क्षेत्रफल घटकर 78,114–5188=72,934 वर्ग किमी0 रह गया जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है। इस पी0ओ0के0 में मीरपुर, पुंछ का आधा भाग, कोटली व मुजफ्फराबाद शामिल हैं। 25 नवम्बर, 1947 तक इस क्षेत्र पर जम्मू–कश्मीर सरकार का नियंत्रण होने के बावजूद, कबाइलियों द्वारा कत्लेआम किया था, कोई सहायता नहीं। अतः इस दिन को ये लोग 'काला दिवस' के रूप में प्रति वर्ष मनाते हैं। भारत के पास जम्मू–कश्मीर का आज वास्तविक रूप में तो 1,06,567 वर्ग किमी0 भू–भाग ही है। 5180+37,555 वर्ग किमी0 जमीन चीन के पास है।

इस रहस्य के पीछे शेख अब्दुल्ला की चाल थी। शेख कश्मीरी जनता को यहां की डोगरा–पहाड़ी जनता से कभी भी जुड़ने नहीं देना चाहते थे। इस सम्पूर्ण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की भाषा, संस्कृति, पहचान व इतिहास जम्मू से मिलता जुलता है। जम्मू

Scanned by CamScanner

रियासत पूर्व डोगरा राजपूतों की थी। यहां की मार्शल कास्ट (जाति) शेख को चुनौती दे सकती थी। इस सत्य को शेख अब्दुल्ला भली–भांति जानते थे कि जब तक ये क्षेत्र जम्मू–कश्मीर से जुड़े रहेंगे तब तक उनका 'शेर–ए–कश्मीर' (सुल्तान/सर्वेसर्वा) बनने का स्वप्न पूरा नहीं होगा। घाटी की 21.5 प्रतिशत जनता का नेतृत्व नेशनल कॉन्फ्रेंस करती थी। इस सत्य को अधिकृत कश्मीरी नेता हमारे नेताओं से अधिक सही तरीके से जानते हैं। ऐसा ही लार्ड माउण्टबेटन ने स्वीकार किया था क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को शेख अब्दुला ही महाराजा हरी सिंह के बाद जम्मू–कश्मीर के सर्वेसर्वा थे। इन्हीं की देख रेख में युद्ध लड़ा जा रहा था। इन्होंने ही गिलगिल में कार्यरत ब्रिगेडियर विक्रम सिंह को पं0 नेहरू से दबाव डलवाकर हटवाया था। अतः गिलगिल जैसा सामरिक महत्व का क्षेत्र पाक के कब्जे में रह गया। शेख ने गद्दी के लालच में राष्ट्र हित को भुला दिया। पं0 नेहरू का शेख के प्रति विशेष लगाव था। अतः वे भी इस क्षेत्र के महत्व को आंकने में गलती कर गये। यही क्षेत्र 1842 की अमृतसर संधि के तहत गुलाब सिंह को अंग्रेजों ने बेचा था, जिसे बाद में पुनः लेने के लिए अंग्रेजों ने भरसक प्रयास किये, किन्तु हरीसिंह ने सफल नहीं होने दिये। यही बदला अंग्रेजों ने भारत सरकार से विभाजन के रूप में लिया। कश्मीर विवाद पर अमेरिका व ब्रिटेन इसी कारण पाक का पक्ष यू0 एन0ओ0 के बाहर व भीतर लेते रहे हैं। आज भी इस क्षेत्र पर अमेरिका व ब्रिटेन की निगाह है। पं0 नेहरू ने जनमत संग्रह का गीत रट लिया था। इसका लाभ भी शेख अब्दुला ने उठाया। वे समझ गये कि इस कार्य हेतु भारत सरकार को उनकी आवश्यकता है। अब वे याचक से दाता की स्थित में आ गये। पाकिस्तान जनमत संग्रह का विरोधी था। भारत ने 1950 में पाक के साथ 'नो वार पैक्ट' का प्रस्ताव रखा तो अस्वीकार कर दिया। 26जनवरी, 1950 को भारत गणतांत्रिक देश बन गया। 1951 में जम्मू–कश्मीर में विधान सभा का गठन किया गया। 14 जुलाई, 1952 को दिल्ली में पं0 नेहरू व शेख अब्दुला के बीच समझौता हुआ जिसके प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं:

1. धारा 370 के प्रति प्रतिबद्धता।
2. सभी कश्मीरी भारत के नागरिक होंगे, लेकिन राज्य विधायिका में यह शक्ति निहित होगी कि वह उन विशेषाधिकारों को राज्य के निवासियों को प्रदान करे जो 1927 व 1932 के आंदोलन के फलस्वरूप उन्हें प्राप्त हुए हैं।
3. कश्मीर सहित संपूर्ण भारत का प्रधान भारत का राष्ट्रपति होगा।
4. यद्यपि सदर–ए–रियासत केंद्र द्वारा मनोनीत किए जाने के बजाए राज्य विधायिका द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना पदभार ग्रहण नहीं कर सकेगा।
5. कश्मीर का अपना अलग राजकीय ध्वज होगा लेकिन ध्वज 'तिरंगा' को अलग और विशिष्ट स्थान देते हुए ही राजकीय ध्वज फहराया जा सकेगा।
6. फौरी तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से संबंधित प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे।
7. आंतरिक आपातकाल के उपबंध केवल राज्य विधायिका की सहमति से ही लागू किए जा सकेंगे।

6 फरवरी, 1954 कश्मीर की संविधान सभा ने भारत में इस राज्य कश्मीर के विलय का अनुमोदन कर दिया। 14 मई, 1954 को भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के अन्दर इसे विशेष राज्य का दर्जा देकर भारतीय संघ का भाग बनाया। 19 नवम्बर, 1956 को राज्य के संविधान का प्रारूप तैयार हुआ इसे स्वीकृति प्राप्त हुई। 26 जनवरी, 1957 को भारत ने इस राज्य के कानूनी विलय को कानूनी रूप दिया। 20 जनवरी,

Scanned by CamScanner

1960 को यह राज्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ गया। शेख अब्दुल्ला इस देश के साथ प्रारम्भ से अन्त तक गद्दारी करते रहे। उनके पुत्र फारूख अब्दुल्ला भी इस मामले में पीछे नहीं रहे। 20 फरवरी, 1985 में यह तथ्य कश्मीर विधान परिषद् में खुलकर सामने आ गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख **फारूख अब्दुल्ला** व विधान परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष **मौलाना सोहराव वर्दी** ने अपने भाषण में कहा था कि, **"कश्मीरियों का स्वाभिवक रूझान पाक की ओर है। यदि हमने भारत के साथ विलय स्वीकार किया है तो इसका एकमात्र कारण है कश्मीर घाटी को आधार बनाकर शेष रियासत और शेष भारत का भी हम इस्लामीकरण करना चाहते हैं।"** अप्रैल 1999 में और सम्पूर्ण वर्ष 2000 में फारूख अब्दुल्ला ने नापाक इरादों का जम्मू–कश्मीर की स्वायत्तता की मांग पेश करके स्पष्ट कर दिया। कश्मीर की दर्जनों पार्टियां पाक के सुर में बोलती रहती हैं। इसका लाभ पाक सरकारों को मिलता रहता है। यही स्थिति सर्वाधिक कष्टप्रद है। पी0ओ0के0 की जनता पाक आतंक से मुक्ति पाना चाहती है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दुओं की तो बात छोड़ दें वहाँ आम मुस्लिम और मुजाहिद आज तक परेशान हैं। स्वतन्त्रता नाम मात्र को है। कश्मीरी जनता के पाक परस्त नेता कश्मीर को पाक में मिलाने की बात करते हैं। यह स्थिति सीमा विवाद से भी अधिक खतरनाक है। यह भारत की सुरक्षा हेतु एक अहम विषय है।

पाकिस्तान ने कश्मीर राज्य के उत्तरी क्षेत्र गिलगित, बालटिस्तान, यासीन, डीमर, नग्गर, हुंजा, स्कार्डू व घंचे आदि जैसे प्रमुख नगरों (69,160 वर्ग किमी0) पर कब्जा कर लिया और 28 अप्रैल, 1949 को यहाँ की तथाकथित सरकार के साथ पाक ने करांची समझौता करके 'आजाद कश्मीर' का दर्जा दे दिया। यहीं इस क्षेत्र के निवासियों की पूर्ण गुलामी और भारत की सुरक्षा (सीमा पार फायरिंग व घुसपैंठ) समस्या पैदा हुई।

इस आजाद कश्मीर के रक्षा, विदेश, संचार व परिवहन नीति के विषय और भारत पाक के लिए बने यू0एन0ओ0 के आयोग से वार्ता, गिलगित व वालटिस्तान क्षेत्र से जुड़े सम्पूर्ण मामले पाक के हाथों में चले गये थे। आजाद कश्मीर के अन्य मुद्दों का स्पष्टीकरण किया ही नहीं गया कि इनका निर्णय आजाद कश्मीर (पी0ओ0के0) के शासक करेंगे या पाक शासक। अन्ततः वही हुआ जो पाक चाहता था। आजाद कश्मीर के प्रथम कठपुतली राष्ट्रपति सरदार इब्राहीम बने। इन्होंने पाक नीतियों का विरोध किया तो इन्हें हटाकर चौधरी गुलाम अब्बास को बिठाया। इनके बाद हैदरखान, शेरखान, मीर वाइज (दो बार), खुर्शीद (दो बार), अब्दुल कय्यूम (तीन बार), अब्दुल हमीद (दो बार), राष्ट्रपति बने। जब–जब– इन्होंने पाक नीतियों का विरोध किया तो हटा दिया गया। मुमताज राठौर, सिकन्दर हयात व सुल्तान महमूद तक 18 राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री यहां बने और हटाये जाते रहे। यहाँ के लोगों की जनमत संग्रह की बातों को 10–12 वर्षों तक सुना ही नहीं गया। 1960 तक यही स्थिति रही।

1960 में फील्ड मार्शल अय्यूब खाँ ने "आजाद जम्मू–कश्मीर बुनियादी जम्हूरियत अधिनियम 1960" बनाकर लोगों को सीमित अधिकार दिये और अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित 1200 सदस्यों के निर्वाचक मण्डल ने प्रथम राष्ट्रपति के0 एच0 खुर्शीद को चुना। इसके बाद 1970 में याहिया खां ने "आजाद जम्मू–कश्मीर एक्ट" बनाकर वयस्क मताधिकार दिया। 25 सदस्यीय मंत्रिमण्डल व एक जनमत संग्रह अफसर की व्यवस्था की। इस कानून में वोट डालने से भी वंचित करने का प्रावधान किया था, ताकि पाक की यहां पर लागू नीतियों और सेना की उपस्थिति की आलोचना करने पर लाभ लिया जा सके। सन् 1975 में पुनः यहाँ के लिए एक नया संविधान बनाया, जिसमें प्रधानमंत्री का नया पद सृजित कर राष्ट्रपति के समस्त अधिकार इसे दिये गये तथा 13 सदस्यीय 'आजाद

Scanned by CamScanner

क़श्मीर' परिषद भी बनाई गयी, जिसमें पाक ने अपने 6 सदस्य नामित करने की व्यवस्था की। इस परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति ही था। इस प्रकार बहुमत के लिए 6 वोटों से ही पाक ने यहाँ पकड़ मजबूत कर ली। इस परिषद की बैठक इस्लामाबाद में होती थी। इस व्यवस्था को भी 1994 में बदल दिया गया और राष्ट्रपति चुनने का नया कानून बना जिसके तहत वयस्त मताधिकार के माध्यम से सीधे राष्ट्रपति चुनने व असेम्बली के सदस्यों के बहुमत से प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार मिला, लेकिन 1970 के कानून की तरह पाक विरोधियों को मताधिकार से वंचित करने का प्रावधान भी रखा। जब यहाँ कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है तो कहता है कि– **"मैं अपने देश के पाकिस्तान के अधिकार में होने के प्रतिपूर्ण वफादारी निभाऊँगा तथा कथित आजाद कश्मीर का कोई दल पाकिस्तान कब्जे के विरोध की बात अपने घोषणा पत्र में भी शामिल नहीं करेगा।"**

आजाद कश्मीर का अब तक सत्य यही है कि संवैधानिक रूप से न तो कोई देश माना गया है और न प्रान्त। यहाँ पर कठपुतली सरकार (प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आई0जी0, मुख्य सचिव, कमिश्नर व अन्य अफसरों की नियुक्ति) पाकिस्तान द्वारा बनाई जाती है। बजट इस्लामाबाद में तैयार होता है, बैठक वर्ष में एक या दो बार बुलाई जाती है और स्थानीय पुलिस की भर्ती पंजाब में की जाती है, जिसमें यहां के कश्मीरियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। पाक ने इसे बाघ, मीरपुर, कोटली व मुजफ्फराबाद कुल पांच जिलों में बांट रखा है। फरवरी 2000 तक यहां की कुल आबादी 2 लाख के आसपास थी। केवल आतंकवादी पैदा करने वाले मदरसों के, यहाँ पर स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, भोजन व पानी जैसी मूलभूत आवश्यकतायें नहीं दी जाती हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार भी इनको प्राप्त नहीं हैं। जमीन पाक सरकार ने छीन रखी है। महाराजा हरी सिंह के समय की सम्पूर्ण सम्पत्ति पाक के कब्जे में है। यहाँ के लोगों को पाकिस्तान में भी रोजगार नहीं दिया जाता है। युद्ध में मारे गये नागरिकों की विधवाओं, बच्चों, व शेष बचे लोगों को यहां से भगाकर शरणार्थी बना दिया। इस समस्त अव्यवस्थाओं से तंग आकर यहां लोगों ने विश्व मानव समुदाय के सामने पाकिस्तानी कुरीतियों को रखकर ध्यानाकर्षण करने के प्रयास किये हैं। मंगला बांध के विस्थापितों को कोई मुआवजा नहीं दिया और न यहां के लोगों को बिजली व पानी की सुविधा दी गयी। इसका सम्पूर्ण लाभ पाक ले रहा है। समस्त देशी–विदेशी आतंकवादी यहां पर आ बसे हैं जो आतंकवाद पैदा करते हैं। मादक द्रव्यों व हथियारों की तस्करी करते हैं और भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हैं। दर्जनों तो क्या सैकड़ों आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्र यहां कार्यरत हैं। इस समस्त कुव्यवस्थाओं के विरोध में यहां की जनता ने पाक अधिकृत कश्मीर के उच्च न्यायालय की शरण ली, जिसने 8 मार्च, 1993 में निर्णय दिया कि **"उत्तरी क्षेत्रों का प्रशासन 'आजाद कश्मीर' की राजधानी मुजफ्फराबाद को सौंप दिया जाय, क्योंकि ये क्षेत्र पाक के हिस्से में नहीं आते हैं"** परन्तु पाक सरकार नहीं मानी। जून, 1994 में यह विवाद पाक के सर्वोच्च न्यायालय में चला गया (पाक सरकार ले गयी थी) जिसने सितम्बर 1997 में निर्णय दिया कि "गिलगित व बालटिस्तान आदि क्षेत्र पाक के भाग नहीं हैं। ये समस्त क्षेत्र पूर्व महाराजा हरीसिंह की जम्मू–कश्मीर रियासत के भाग हैं। 16 अगस्त, 1947 को जम्मू–कश्मीर जैसा था, यह उत्तरी क्षेत्र उसी के अंग हैं। अतः पाक इस क्षेत्र का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं ले सकता।"

इस जंग को हारने के बाद पाक ने 26 सदस्यों की एक समिति गठित कर दी, जो पाक सरकार के रहमों करम पर कार्य करती है। मई 1998 में इस क्षेत्र के वरिष्ठ

Scanned by CamScanner

पुलिस अधीक्षक अमीर हमजा ने पाक सरकार व वहाँ के अटार्नी जनरल के आंकलन की आलोचना की कि पाक सरकार कपटपूर्वक हथियाये गये उत्तरी क्षेत्रों के लोगों के मानवीय अधिकारों का हनन करती रहती है। इस आरोप की प्रतियां संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार कमैटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य गैर सरकारी मानवाधिकारी संस्थाओं को दी गयी। गिलगित कश्मीर के नरेश के अधिकार में जहाँ कश्मीर नरेश के द्वारा नामित राजा रहीम खान थे, जिन्होंने इसे पाक सरकार को दिया था। इस पर पाक सरकार विगत 54–55 वर्षों से उसी तरह कब्जारत है जैसे ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। आज स्थिति यह है कि यहां के लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह हमारी मुक्ति के प्रयास करें। यहां आये दिन रैलियां होती है। पाक नीतियों का विरोध करते हैं। इन समस्त तथ्यों को देखते हुए 5 जून, 1998 को रक्षामंत्री ने लोक सभा और 16 दिसम्बर, 1999 को विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने राज्य सभा में प्रस्ताव रखा था। भारतीय संसद पी0ओ0के0 को मुक्त कराने के लिए 1994 में एक प्रस्ताव पास कर चुकी है और दो बार संसद इस संकल्प को दोहरा चुकी है। लालकिले से भी कई प्रधानमंत्री इस संकल्प को दोहरा चुके हैं। अब देखना है कि यह संकल्प कब कार्यरूप में आयेगा?

समीक्षा– असल में पाकिस्तान सरकार ने नियंत्रण रेखा के आस–पास की आबादी हटाकर पंजाब के झंग और दूरदराज के क्षेत्रों में बसाकर यहां सेना को स्थापित कर दिया है। आतंकवादी शिविर भी नियंत्रण रेखा के नजदीक हैं जो पाक सेना के साथ सीमा पर फायरिंग करते हैं। सेना इन्हें अपने फायर की आड़ में भारत की सीमा में घुसाती रहती है। कारगिल युद्ध में नार्दन लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने आतंकवादियों को भारत में घुसाने की मदद की और स्वयं भी युद्धरत थी। चीन ने अक्साईचिन के पश्चिम में राजमार्ग लद्दाख से मुख्य चीन को जोड़ने वाला अक्साईचिन राजमार्ग बना लिया है। पाक के इसी क्षेत्र में चीन ने पश्चिमी तिब्बत को पी0ओ0के0 से जोड़ने वाला काराकोरम राजमार्ग बना लिया है। पाक ने मंगला बांध व बिजली इसी क्षेत्र में बना रखा है। चीन चाहता है कि जो क्षेत्र उसके पास है इसकी वापसी की बात कभी न उठे। चीन पाक को सामरिक सामग्री देने के साथ–साथ प्रत्येक मंच पर भारत के विरूद्ध पाक की नीतियों का समर्थन करता है। पाक के प्रमुख शहर रावलपिण्डी, इस्लामाबाद और काहूटा जैसे सामरिक संवेदनशील नगर इसी पी0ओ0के0 के पास पड़ते हैं, जो रेल व सड़क मार्ग से जुड़े हैं। इस क्षेत्र में पाक सेना की एक कोर कमाण्ड के साथ–साथ लगभग चार–पांच डिवीजन गिलगित से मंगला तक तैनात हैं। झेलम व गिलगित में चार–चार ब्रिगेड तथा मुरी में पांच ब्रिगेड पाक सेना तैनात रहती है। सम्पूर्ण पाक सेना का 5वाँ भाग इसी क्षेत्र में (पी0ओ0के0) तैनात है। सैन्य सामग्री की आपूर्ति, संग्रह, सैन्य आवास, डिपो, अवलोकन चौकियां, आवागमन के साधन, संचार साधन और सैन्य बंकर आदि यहां पर बना रखे हैं। अरबों, रूपयों की सम्पत्ति पाक और चीन ने यहां लगा रखी हैं ताकि भारत पर दबाव बना रहे।

यदि सौभाग्य से भारत इस क्षेत्र को लेने में सफल होता भी है तो इन सम्पत्तियों का मुआवजा इतना होगा कि भारत न दे पाये क्योंकि ये कूटनीतिक चालें होंगी। पाक अधिकृत कश्मीर के सामरिक महत्व को देखते हुए ही अमेरिका व ब्रिटेन की गीध दृष्टि यहां आज भी लगी हुई है। 1949 में यू0एन0ओ0 द्वारा नियुक्त विशेष प्रतिनिधि ओवन डिक्सन ने संघ के प्रस्तावों को लागू करने के बजाय विभाजन का प्रस्ताव पेंश किया था, ताकि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बनाया जा सके और फिर अमेरिका व ब्रिटेन अपने–अपने सैन्य अड्डे यहां कायम कर सकें। गिलगित इस दृष्टि

Scanned by CamScanner

से पहले भी और आज भी विशेष सामरिक महत्व रखता है। यहां से चीन व रूस के साथ–साथ मध्य एशियाई राष्ट्रों पर बराबर नजर रखी जा सकती है। 11 सितम्बर, 2001 की घटना के बाद अमेरिका सेना पाक व अफगानिस्तान में प्रविष्ट हो गयी उसने पाक से हजारों हेक्टेअर जमीन सैन्य आवास हेतु पट्टे पर ली है। इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिकी सेना यहां से बहुत शीघ्र व आसानी से जाने वाली नहीं है। भारत सीमा पार फायरिंग से परेशान हो चुका है, जो नियंत्रण रेखा पर होती रहती है किन्तु वह कारगिल जैसे संकटपूर्ण काल में भी सीमा पार कर आक्रमण करने की योजना नहीं बना पाया था, जो कि उचित नहीं थी, क्योंकि सीमापार भी तो भारतीय क्षेत्र हैं जो अवैध रूप से पाक के कब्जे में हैं। इस नीति को छोड़ना होगा, तभी सीमा समस्या का समाधान सम्भव होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपरोक्त सम्पूर्ण परिस्थितियां भारत–पाक के मध्य सीमा विवाद में सहायक बनी हुई हैं। जो पाक व चीन के लिए लाभकारी हैं किन्तु भारत के लिए हानिकारक हैं। निकट भविष्य में इस विवाद या समस्या के हल होने की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि अमेरिका व ब्रिटेन इस पर दोगली नीति अपना रहे हैं। यू0 एन0 ओ0 के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान कई बार कह चुके थे कि **"कश्मीर अब कोई विवाद नहीं रह गया है।"** यदि ब्रिटेन एक बार उस सत्य को दृढ़ता के साथ कह दे, जिसे वह जानता है, तो कश्मीर पर पाक दावे की हवा निकलने में कोई देर नहीं लगेगी। भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमाएं रेड क्लिफ के निर्णय से निर्धारित हुई थीं। अतः जम्मू–कश्मीर से गुजरात के कच्छ प्रदेश सीमा चार भागों में तय की गयी लेकिन जम्मू–कश्मीर ही समस्या बन गया। जम्मू–कश्मीर से पंजाब तक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 1225 किमी0 है। इसका अधिकांश सीमान्त पर्वतीय है और खैबर, बोलन, गोमल, टोची आदि कम ऊंचाई के दर्रों से युक्त हैं। सीमा का कुछ भाग सिन्धु, झेलम व चिनाव नदियां तय करती हैं। उत्तर–पश्चिमी सीमान्त का अधिकांश भाग अनाधिकृत रूप से पाक के कब्जे में है और दोनों देशों के मध्य इसमें सीमा "युद्ध विराम रेखा" से निर्मित है। पंजाब से राजस्थान तक सीमा 553 किमी0 है जिसका कुछ भाग रावी व सतलज नदियां बनाती हैं और ये भी उक्त नदियों की भांति पाकिस्तान को चली जाती है। अमृतसर से खेमकरन तक का सीमान्त शुष्क एवं मैदानी है तथा फिरोजपुर से फाजिल्का तक सीमा सतलज नदी द्वारा निर्मित है। अबोहर से फिर आगे पुनः शुष्क व मैदानी क्षेत्र पड़ता है। राजस्थान से गुजराज तक 1042 किमी0 है जो शुष्क और थार रेगिस्तान के अन्तर्गत निर्धारित व अंकित है और समस्त पूर्णतः कृत्रिम हैं। गुजरात से खाड़ी द्वार तक सीमा की लम्बाई 604 किमी0 है, जो कच्छ के रन से निर्मित है। 1965 के युद्ध के बाद विश्व के नैतिक दबाववश 1969 में नूतन अध्यारोपित सीमा को भारत ने स्वीकारते हुए पुनः निर्धारण कर दिया। इस प्रकार भारत–पाकिस्तान के मध्य लगभग 3423 किमी0 की साझा सीमा है। सीमा विवाद पाकिस्तान की नजर में, बहाने के रूप में कश्मीर है, **सियाचिन** है। भारत की नजर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। इस पर चीन के हित पाकिस्तान से जुड़े हैं।

Scanned by CamScanner